भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-6

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/कमजोर वर्ग में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं

†*6. डॉ. थोल तिरुमावलवन:
डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के छात्रों को देश तथा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बढ़ावा देने हेतु कोई छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छात्रवृत्ति के लिए योजना-वार क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/कमजोर वर्ग बाहुल्य अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में समुचित रूप से कार्य कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण अथवा राजसहायता प्रदान करने की कोई नीति अथवा योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का भारतीय छात्रों के लिए देश तथा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और अधिक छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य डॉ. थोल तिरुमावलवन और डॉ. डी. रवि कुमार द्वारा 'अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/कमजोर वर्ग में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं' के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 6 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): सरकार अनुसूचित जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों सहित भारतीय छात्रों को देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रही है। इसके अलावा, मित्र देशों/संस्थानों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ऐसे दाता देशों द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के भारतीय छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्रसारित करता है। छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित मानदंडों सहित इन योजनाओं का विवरण निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग**	**वेबसाइट लिंक**
1.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	विवरण https://socialjustice.gov.in/scheme-cat पर उपलब्ध है।
2.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	विवरण https://tribal.nic.in/ScholarshiP. aspx पर उपलब्ध है।
3.	उच्चतर शिक्षा विभाग	विवरण https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-0 पर उपलब्ध है।
4.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	विवरण https://www.ugc.gov.in/Home/student_Corner पर उपलब्ध है।
5.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	विवरण https://www.aicte-india.org/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes पर उपलब्ध है।
6.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	विवरण https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=661&lid=823 पर उपलब्ध है।
7.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	विवरण https://dst.gov.in/inspire-scheme-innovation-science-pursuit-inspired-research पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएँ योग्यता आधारित हैं और पूरे देश में फैली हुई हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी आवेदक योजना की पात्रता शर्तों और मानदंडों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा संबंधी ऋण वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग का विषय है। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के साथ-साथ विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। बैंक मोटे तौर पर भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शिक्षा ऋण योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं, जिसे अंतिम बार 2022 में संशोधित किया गया था। विवरण https://www.iba.org.in/retail-banking/educational-loan-scheme.html पर उपलब्ध है।

शिक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना के तहत भारत में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में छात्रों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये दिशानिर्देश https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-4 पर उपलब्ध हैं।

*****